भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 676

08.02.2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

676 श्री संजय सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत चिह्नित किए किए गए शहरों की सूची क्या है;

(ख) कार्यक्रम के आरंभ से विकास का आकलन करने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायु प्रदूषण ने किस हद तक दिल्ली में स्थिति और खराब कर दी है तथा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्ष 2015-2019 से, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषणकारी तत्वों की मौजूदगी वाले वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत ऐसे 122 शहरों को अभिज्ञात किया गया है जिनकी वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 122 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से 111 शहरों के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन हेतु शहर कार्य-योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और 13 शहर कार्य-योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। शहर-विशिष्ट कार्य-योजनाएं तैयार की गई हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने, वाहनजनित / औद्योगिक उत्सर्जनों को कम करने, जन-जागरूकता बढ़ाने आदि के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक शहर-विशिष्ट योजना वेबसाइट https://cpcb.nic/approved-city-action-plan/. पर उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरूआत से ही केंद्रीय और राज्य स्तर पर समितियों नामत: संचालन समिति, निगरानी समिति और कार्यान्वयन समिति द्वारा शहर-विशिष्ट कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन और विकास की नियमित निगरानी की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य सरकारों को शहर-विशिष्ट कार्य-योजनाओं को तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने में सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) वर्ष 2016 से वायु की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उसे नीचे दी गई तालिका मे दर्शाया गया है:

वर्ष(दिनों की संख्या) श्रेणी		2016* (354)	2017 (365)	2018 (365)	2019 (365)	2020 * (366)	2016*	2017	2018	2019	2020*
अच्छा	**(0–50)**	0	2	0	2	5					
संतोषजनक	**(51–100)**	25	45	53	59	95	**108**	**152**	**159**	**182**	**227**
मध्यम	**(101–200)**	83	105	106	121	127					
खराब	**(201–300)**	120	115	113	103	75					
बहुत खराब	**(301–400)**	101	89	73	56	49	**246**	**213**	**206**	**183**	**139**
गंभीर	**(>401)**	25	9	20	24	15					

वर्ष 2016 और 2019 के बीच की अवधि की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' दिनों की संख्या वर्ष 2016 की 108 की तुलना में वर्ष 2019 में बढ़कर 182 हो गई, जबकि 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' दिनों की संख्या वर्ष 2016 की 246 से घटकर वर्ष 2019 में 183 रह गई। वर्ष 2019 और 2020 के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' दिनों की संख्या वर्ष 2019 के 182 की तुलना में बढ़कर वर्ष 2020 में 227 हो गई, जबकि 'खराब', बहुत खराब' और 'गभीर' दिनों की संख्या वर्ष 2019 के 183 से घटकर वर्ष 2020 में 139 रह गई।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नवंबर, 2017 में, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय कार्य-बल (एचएलटीएफ) द्वारा दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन से संबंधित उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी;

(ii) कार्यकलापों हेतु समय-सीमाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात करते हुए दिल्ली-एनसीआर के लिए व्यापक वायु योजना (सीएपी);

(iii) दिल्ली और एनसीआर के लिए, प्रदूषण के विभिन्न स्तरों से निपटने हेतु श्रेणीकृत अनुक्रिया कार्य-योजना जीआरएपी का कार्यान्वयन;

(iv) एनसीटी दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के शेष भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाया गया है;

(v) परिधीय एक्प्रेस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी हो रही है;

(vi) मेट्रो रेल और सार्वजनिक परिवहन के नेटवर्क में वृद्धि की गई तथा और अिधक शहरों शामिल किया गया है;

(vii) दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए आरएफआईडी टैगों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है;

(viii) वैद्युत वाहनों को बढ़ावा देने हेतु वैद्युत वाहनों का शीघ्रतर अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम)-II योजना की शुरूआत;

(ix) ईंधन के रूप में पेट कोक और भट्टी तेल के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है और सीमेंट भट्टों, चूना भट्टियों, कैलशियम कार्बाइड संयंत्रों और तेलशोधक कारखानों के गैसीकरण संयंत्रों में फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए पेट कोक के आयात की अनुमति दी गई है;

(x) दिल्ली - एनसीआर में 2,829 औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन;

(xi) दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी की 562 औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन सतत (24X7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना;

(xii) अनुपालन न करने वाली इकाइयों के विरूद्ध वायु को प्रदूषित करने वाली इकाईयों (डीजल जेनरेटर सेट सहित) (230) को बंद करने, कारण बताओ नोटिस (91) जारी करने और कानूनी मुकद्दमें (8) दायर करने सहित सख्त कार्रवाई की गई है;

(xiii) समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों का संशोधन;

(xiv) 2697 ईंट भट्टों का मिश्रित प्रौद्योगिकी में परिवर्तन;

(xv) दिल्ली में 59 मेगावाट क्षमता के साथ 5300 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 03 अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्रों का प्रचालन;

(xvi) केंद्रीकृत और विकेंद्रित कम्पोस्टिंग सुविधाओं सहित 200 से अधिक टीडीपी क्षमता के अनेक प्रकार के अपशिष्टों से कम्पोस्ट तैयार करने के संयंत्रों का प्रचालन;

(xvii) कचरा पाटन स्थलों के जैविक उपचार और जैविक खनन का प्रचालन;

(xviii) सड़कों की मशीनीकृत सफाई के लिए प्रयुक्त मशीनों की संख्या में वृद्धि;

(xix) निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में मानक प्रचालन कार्य-विधियों और अधिसूचना को जारी करना;

(xx) 2,650 टीपीडी क्षमता वाले तीन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रचालन;

(xxi) दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग करने हेतु तंत्र की स्थापना;

(xxii) अक्तूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन;

(xxiii) वर्ष 2018 से, दिल्ली और एनसीआर में विशेष रूप से हॉट-स्पॉटों में प्रदूषणकारी कार्यकलापों की निगरानी करने हेतु समर्पित दस्तों / दलों की तैनाती और **समीर** ऐप के संबंध में रिपोर्ट;

(xxiv) यातायात चौराहों पर प्रदूषण उपशमन के लिए वायु की मात्रा में वृद्धि और शुद्धिकरण इकाईयों (डब्ल्यूएवाईयू) के माध्यम से परिवेशी वायु का शुद्धिकरण;

(xxv) दिल्ली में स्थान-स्थान पर प्रदूषण स्तरों की कमी के लिए कुछ संवेदनशील तथा हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में स्मॉग टावर (मध्यम पैमाने की वायु शोधन प्रणाली) के संस्थापन के लिए प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की जानी है;

(xxvi) लॉकडाउन की अवधि के दौरान कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक घटकों सहित $PM_{2.5}$ का लक्षण निर्धारित करने हेतु वाहनों द्वारा $PM_{2.5}$ के उत्सर्जन के अंश में व्यापक कमी को दर्शाते हुए वास्तविक समय स्रोत संविभाजन के माध्यम से आकलन;

(xxvii) राज्य बोर्डों को धूल उपशमन मशीनों आदि का प्रयोग करने हेतु परामर्शी जारी की गई।

*****

अनुबंध

"राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम" के संबंध में श्री संजय सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 08.02.2021 को उत्तर के लिए पूछ गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 676 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 122 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों की सूची

राज्य	क्र.सं.	फरीदाबाद	राज्य	क्र.सं.	फरीदाबाद
आंध्र प्रदेश (13)	1.	गुंटूर	मध्य प्रदेश (06)	62.	भोपाल
	2.	कुरनूल		63.	देवास
	3.	नेल्लोर		64.	इंदौर
	4.	विजयवाड़ा		65.	सागर
	5.	विशाखापट्टनम		66.	उज्जैन
	6.	अनंतपुर		67.	ग्वालियर
	7.	चितूर	मेघालय (01)	68.	बिरनीहाट
	8.	एलुरु	नागालैंड (02)	69.	दीमापुर
	9.	कडप्पा		70.	कोहिमा
	10.	ओंगोल	उड़ीसा (07)	71.	अंगुल
	11.	राजमुंदरी		72.	बालासोर
	12.	श्रीकाकुलम		73.	भुवनेश्वर
	13.	विजयनगरम		74.	कटक
असम (05)	14.	गुवाहाटी		75.	राउरकेला
	15.	नागांव		76.	तालचर
	16.	नलबाड़ी		77.	कलिंग नगर
	17.	सिबसागर	पंजाब (09)	78.	डेरा बस्सी
	18.	सिलचर		79.	गोबिंदगढ़
बिहार (03)	19.	पटना		80.	जालंधर
	20.	गया		81.	खन्ना ने
	21.	मुजफ्फरपुर		82.	लुधियाना
चंडीगढ़ (01)	22.	चंडीगढ़		83.	नाया नांगल
छत्तीसगढ़ (03)	23.	भिलाई		84.	पठानकोट / डेरा बाबा
	24.	कोरबा		85.	पटियाला
	25.	रायपुर		86.	अमृतसर
दिल्ली (01)	26.	दिल्ली	राजस्थान (05)	87.	अलवर
गुजरात (03)	27.	सूरत		88.	जयपुर
	28.	अहमदाबाद		89.	जोधपुर
	29.	वडोदरा		90.	कोटा
हिमाचल प्रदेश (7)	30.	बद्दी		91.	उदयपुर
	31.	डमटाल	तमिलनाडु (02)	92.	ठठुकुडी
	32.	काला अंब		93.	त्रिची

	33.	नालागढ़	तेलंगाना (04)	94.	हैदराबाद
	34.	पांवटा साहिब		95.	नलगोंडा
	35.	परवानू		96.	पाटनचेरुवु
	36.	सुंदर नगर		97.	संगारेड्डी
जम्मू और कश्मीर (2)	37.	जम्मू	उत्तर प्रदेश (15)	98.	आगरा
	38.	श्रीनगर		99.	इलाहाबाद
झारखंड (01)	39.	धनबाद		100.	अनपरा
कर्नाटक (04)	40.	बैंगलूरू		101.	बरेली
	41.	देवनागरे		102.	फिरोजाबाद
	42.	गुलबर्ग		103.	गजरौला
	43.	हुबली-धारवाड़		104.	गाज़ियाबाद
महाराष्ट्र (18)	44.	अकोला		105.	झांसी
	45.	अमरावती		106.	कानपुर
	46.	औरंगाबाद		107.	खुर्जा
	47.	बदलापुर		108.	लखनऊ
	48.	चंद्रपुर		109.	मुरादाबाद
	49.	जलगाँव		110.	नोएडा
	50.	जालना		111.	रायबरेली
	51.	कोल्हापुर		112.	वाराणसी
	52.	लातूर	उत्तराखंड (03)	113.	काशीपुर
	53.	मुंबई		114.	ऋषिकेश
	54.	नागपुर		115.	देहरादून
	55.	नासिक	पश्चिम बंगाल (07)	116.	कोलकाता
	56.	नवी मुंबई		117.	आसनसोल
	57.	पुणे		118.	बैरकपुर
	58.	सांगली		119.	दुर्गापुर
	59.	सोलापुर		120.	हल्दिया
	60.	उल्हासनगर		121.	हावड़ा
	61.	ठाणे		122.	रानीगंज

*****